

उत्तराखण्ड शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
संख्या-753/XXXI(15)G/2026-74(सा0)/2016  
देहरादून दिनांक 26 मई, 2026

विज्ञप्ति/संशोधन

उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या- 1800/XXXI(15)G/25-74(सा0)/2016, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के क्रम सं0- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब दिनांक 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

2- उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक/कोषागार/उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त विज्ञप्ति को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

Digitally signed by  
Rajendra Kumar  
Date: 26-05-2026  
09:41:53

(राजेन्द्र कुमार)  
सचिव

संख्या-753/XXXI(15)G/26-74(सा0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझें।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. - उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।